न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 497/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

जगतपाल सिह पुत्र सरजीत सिह जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. सरजीत सिह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. रूमन पुत्री सरजीत सिह पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. अनिलदेवी पुत्री सरजीत सिह पत्नी रणवीर सिह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

उपस्थित :—

1. श्री नरेश मण्डा—वकील वादी
2. श्री संजय धारणियां —वकील प्रति.सं. 1 ता 3

निर्णय

दिनांक :— 3.3.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। चक 4 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2071—2074 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 158/15 में वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.108 है. हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।जिसकी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वाद—पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है जो की विरासतन है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता है प्रतिवादी सं. 2 व 3 वादी की बहिनें प्रतिवादी सं. 1 की पुत्रीया है एवं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी को घरेलू बटवारा में 0.759 है. कृषि भूमि अच्छी मन्दी के अनुसार हिस्सा में आई है ओर इसी अनुसार वादी एव प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी—अपनी कृषि भूमि का विभाजन कर रखा है इसलिये वादी चक 4 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2071—2074के खाता सं. 158/15 में 0.759है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.759है हिस्सा कम करवाने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अपनी विरासतन कृषि भूमि को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में वादी पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार त्याग कर दी है प्रतिवादी सं. 2 व 3 की शादी हो चुकी है व अपने ससुराल में प्रसन्न है तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 158/15 में दर्ज कृषि भूमि में अपना कोई हक वा हिस्सा शेष नही रखना चाहती है। वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी सं. 2 व 3 को कोई उज्र व एतराज नही है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 मौका पर वाद–पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार ही काविज है कब्जा काश्त वावत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा घोषित न होने के कारण व वादी के परिवार में असंतोष बना रहेगा व खातेदारी अधिकारो पर वुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है प्रतिवादी सं. 1 पहले तो टाल मटौल करता रहा लेकिन अंत में पिछले सप्ताह वादी की वात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गयी यही वाद कारण है। वाद कृषि भूमि के घोषणा का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

लिहाजा वाद निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि वादी को चक 4 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2071–2074 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 158/15 में 0.759 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.759है हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी जगतपाल ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 4 एएमपी के खाता संख्या 158/15 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वं चक 4 एएमपी के खाता संख्या 15/12 जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 की जमाबन्दी पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 4 एएमपी के खाता संख्या 158/15 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में 2.108 हैक्ट. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिह पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने कोई विरोध नहीं किया इसं आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 4 एएमपी के खाता संख्या 15/12 जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 की जमाबन्दी पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिह पुत्र देवीलाल के नाम चक 4 एएमपी के खाता संख्या 158/15 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक 4 ए.एम.पी. के खाता संख्या 158/15 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 मे प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिंह पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी जगतपाल सिह को 0.759 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 3.3.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया

डिक्री वमुकदमें इब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 497/2023

जगतपाल सिह पुत्र सरजीत सिह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वनाम

1. सरजीत सिह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रूमन पुत्री सरजीत सिह पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अनिलदेवी पुत्री सरजीत सिह पत्नी रणवीर सिह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे बहाज़री श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 4 ए.एम.पी. के खाता संख्या 158/15 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 मे प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिंह पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी जगतपाल सिह को 0.759 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषितं किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोटः– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत.....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....X..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.3.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया